**उत्तर प्रदेश में मोदीनगर की चिटफंड कम्पनियों का बन्द किया जाना**

3683. **श्री निहाल सिंह:**
**श्री राम अवध:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मोदीनगर की श्रमिक बस्ती में कार्य कर रही बहुत सी चिटफंड कम्पनियों पर लाखों रुपये का घोटाला करने और हजारों लोगों को धोखा देने के आरोप हैं और अब इन कम्पनियों को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है और इन दोषी चिटफंट कम्पनियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या चिटफंड कम्पनियों द्वारा अन्य राज्यों में भी ऐसी अनियमितताएं करने की शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

**वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन):** (क) और (ख). रिजर्व बैंक के पास, मोदीनगर (यू.पी.) में चिटफंड कम्पनियों के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है। फिर भी, फर्मों, समितियों तथा चिट्स के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश सरकार से यह ज्ञात हुआ है कि गरुड़-चिट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कि पंजीकृत कार्यालय बम्बई में और केन्द्रीय कार्यालय मद्रास में है, उसकी एक शाखा मोदीनगर में है रजिस्ट्रार के रिकार्ड में मोदीनगर में किसी अन्य चिटफंड कम्पनी की शाखा खुलने और बन्द होने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

उपर्युक्त कम्पनी की विभिन्न शाखाओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर फर्मों, समितियों तथा चिटों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश, सरकार लखनऊ ने यू.पी. चिटफंड नियम, 1975 के अन्तर्गत 9-7-1980 को कम्पनी पर मुकदमा चलाने की दृष्टि से कम्पनी की लखनऊ शाखा के रिकार्डों को जब्त कर लिया था। रजिस्ट्रार ने कम्पनी की उत्तर प्रदेश में स्थित शाखाओं के सम्बन्ध में यू. पी. चिट फंड अधिनियम, 1975 की शर्तों के अन्तर्गत मियादी जमा के रूप में कुल 1,89,500/- रुपये की प्रतिभूतियां भी प्राप्त की हैं। कम्पनी ने यू. पी. चिट फंड अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के कतिपय उपबंधों के प्रवर्तन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय से स्थगन-आदेश प्राप्त कर लिया है। रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय के आदेश के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा इन्हें निरस्त कराने का उपाय कर रहा है।

(ग) परम्परागत चिटफण्ड कम्पनियों द्वारा अन्य राज्यों में अभिदाय राशियों की तथा उन पर देय ब्याज की अदायगी नहीं किये जाने के बारे में समय-समय पर आरोपित शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। चूंकि न तो सरकार को और न ही भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसी शिकायतों के विरुद्ध कार्यवाई करने की सांविधिक शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए शिकायत-कर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संविदा भंग के मामलों में सामान्यत: उपचारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। जहां तक इनामी चिटों का सम्बन्ध है, इनामी चिट्स तथा मुद्रा परिचालन स्कीम (प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1978 के उपबन्धों के अन्तर्गत उन पर पाबन्दी लगा दी गई है। राज्य सरकारें इस अधिनियम के अन्तर्गत कारवाई करने के लिए सक्षम हैं। अखिल भारतीय स्तर परम्परागत चिट फंड व्यवसाय के परिचालन के व्यवहार को विनियमित करने के लिए संसद में एक चिट फंड विधेयक पेश किया गया है।

**Exploration and assessment of mineral by Minerals Department of Madhya Pradesh**

3684. SHRI DILEEP SINGH BHURIA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Minerals Department of Madhya Pradesh had taken in hand 2 years ago the work of exploration